



Neutral Citation No. - 2026:AHC:49778

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

रिट - ए संख्या - 18272 वर्ष 2024

बिजेन्द्र सिंह धामा

.....याची(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और 6 अन्य

.....प्रत्यर्थी(गण)

याची(गण) के अधिवक्ता : विजय प्रताप सिंह

प्रत्यर्थी(गण) के अधिवक्ता : सी. एस. सी.

एवं अन्य संबद्ध वाद

न्यायालय संख्या - 33

माननीय विकास बुधवार, न्यायमूर्ति

1. प्रमुख और साथ ही संबद्ध रिट याचिकाओं में रिट याची के विद्वान अधिवक्ता श्री विजय प्रताप सिंह और प्रमुख तथा संबद्ध रिट याचिकाओं में राज्य के विद्वान स्थायी अधिवक्ता श्री राहुल मालवीय को सुना।
2. विरोधी पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा एक संयुक्त वक्तव्य दिया गया है कि वे कोई अतिरिक्त शपथ पत्र दाखिल करने का प्रस्ताव नहीं करते हैं और रिट याचिका का निर्णय पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों के आधार पर किया जाए।
3. पक्षकारों की सहमति से, रिट याचिका का निर्णय इसी प्रक्रम पर किया जा रहा है।
4. रिट याची का मामला यह है कि उसे वर्ष 1983 में कांस्टेबल (आरक्षी) के पद पर नियुक्त किया गया था और तत्पश्चात वह 29.02.2024 को अधिवर्षिता पर सेवानिवृत्त हो गया। तथापि, रिट

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



याची के अनुसार 16.05.2024 को, पुलिस उपायुक्त (पुलिस मुख्यालय), आयुक्तालय, गौतम बुद्ध नगर द्वारा रिट याची के वेतन को 64100/- रुपये से घटाकर 60400/- रुपये करते हुए वेतन का पुनः निर्धारण करने वाला एक आदेश पारित किया गया।

5. उक्त आदेश पर प्रश्न उठाते हुए, संबद्ध रिट याचिका प्रस्तुत की गई। 28.08.2024 को, सहायक आयुक्त (पुलिस मुख्यालय), आयुक्तालय, गौतम बुद्ध नगर के आदेश दिनांक 28.08.2024 के आधार पर रिट याची से 1,52,224/- रुपये की वसूली करने का भी निर्देश दिया गया था। इसके अतिरिक्त, सेवानिवृत्ति के पश्चात के लाभों की 11,87,802/- रुपये की राशि के साथ-साथ 1,05,148/- रुपये की संगणना राशि और रोके गए उपदान (ग्रेच्युटी) सहित अन्य लाभों को जारी करने के लिए परमादेश की प्रकृति में अनुतोष भी मांगा गया है। इसे प्रमुख रिट याचिका के माध्यम से चुनौती दी गई थी और दोनों रिट याचिकाओं को संबद्ध कर दिया गया है और वे इस न्यायालय के समक्ष हैं।
6. रिट याची के विद्वान अधिवक्ता ने यह तर्क देने का प्रयास किया है कि वह आदेश जिसके द्वारा रिट याचिका के अहित में वेतनमान का पुनः निर्धारण किया गया है, को इस साधारण कारण से बनाए नहीं रखा जा सकता है कि यह नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों का उल्लंघन है। रिट याची के विद्वान अधिवक्ता ने यह निवेदन किया है कि यह धोखाधड़ी, छिपाव या दुर्यपदेशन का मामला नहीं है और आगे यह कि किसी भी प्रकार की कोई वसूली नहीं की जा सकती थी और किसी भी पुनः निर्धारण का कोई प्रश्न ही नहीं है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय के पंजाब राज्य बनाम रफीक मसीह (वाइट वाशर), (2015) 4 एस सी सी 334 और थॉमस डेनियल बनाम केरल राज्य और अन्य, (2022) लाइव लॉ (एस सी) 438 में दिए गए निर्णय पर भरोसा किया गया है।
7. दूसरी ओर राज्य के विद्वान स्थायी अधिवक्ता श्री राहुल मालवीय यह निवेदन करते हैं कि एक बार जब कोई भी ऐसा लाभ, जिसे प्रदान किया जाना देय नहीं था, प्रदान कर दिया गया है, तो नियोक्ता के लिए सुधारात्मक कार्रवाई करते हुए त्रुटियों को सुधारने का विकल्प हमेशा खुला रहता है और उनके अनुसार, उक्त आदेश पारित करना प्रत्यर्थीगण के अधिकार क्षेत्र में है, परंतु औचित्य की मांग यह थी कि रिट याची को नोटिस दिया जाना चाहिए था।
8. मैंने बार के समक्ष इस प्रकार किए गए निवेदनों को सुना है और पत्रावली का सावधानीपूर्वक अवलोकन किया है।

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



9. स्पष्ट रूप से, दोनों आदेश चुनौती की विषयवस्तु हैं; एक वह आदेश जिसके द्वारा पुनः निर्धारण किया गया है और दूसरा जिसके द्वारा वसूली किए जाने का प्रयास किया गया है। आक्षेपित आदेश से यह स्पष्ट नहीं है कि यह धोखाधड़ी, छिपाव या दुर्यपदेशन का मामला है और यह भी सामने नहीं आ रहा है कि रिट याची को नोटिस दिया गया था, इस प्रकार आक्षेपित आदेश को बनाए नहीं रखा जा सकता है। तदनुसार, रिट याचिका का निर्णय निम्नलिखित निबंधनों में किया जा रहा है:-

(क) सहायक आयुक्त (पुलिस मुख्यालय), आयुक्तालय, गौतम बुद्ध नगर द्वारा पारित आदेश दिनांक 16.05.2024 और 28.08.2024 निरस्त किए जाते हैं।

(ख) मामले को विधि के अनुसार नए आदेश पारित करने के लिए प्राधिकारी को वापस भेजा (प्रत्यावर्तित किया) जाता है।

(ग) सेवानिवृत्ति के पश्चात के लाभों की 11,87,802/- रुपये की राशि के साथ-साथ 1,05,148/- रुपये की संगणना राशि और उपदान सहित अन्य लाभों को प्रदान करने से संबंधित मुद्दे पर भी उक्त अवधि के भीतर विचार किया जाए।

10. पूर्वोक्त टिप्पणियों के साथ, रिट याचिका निस्तारित की जाती है।

(विकास बुधवार, न्यायमूर्ति)

11 मार्च, 2026

एन. एस. राठौर

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।